(5)

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी,जयनगर द्वारा नामान्तरण वाद सं0–659 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक–16.02.2016 के विरूद्ध आवेदक मो0 शमसुदीन, मो0 शाहिद एवं निजामुउद्दीन तीनों पिता–अब्दुल मजीद ग्राम–गरचांच थाना–जयनगर जिला–कोडरमा द्वारा अपील दायर किया गया है, साथ हीं समय सीमा क्षान्त का आवेदन दाखिल किया गया है।अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् समय सीमा को क्षान्त करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किये।

आवेदक प्रथम पक्ष का कहना है कि मो0 शमसुद्दीन, मो0 शाहिद , निजामुउद्दीन हम तीनों के बड़ा भाई अब्दुल हमीद वल्द अब्दुल मजीद ग्राम–गरचांच थाना–जयनगर जिला–कोडरमा हम चारो भाई मिलकर दिनांक–08.09.1989 को मौजा–गरचांच के खाता नं0–15 प्लॉट नं0–255 रकवा–10डी0 वो मौजा–भीन्कोडीह के खाता नं0–09 प्लॉट नं0–27 रकवा–46डी0 वो खाता नं0–14 प्लॉट नं0–17 रकवा–20डी0 कुल रकवा–76डी0 भूमि केवाला सं0–7494 दिनांक–08.09.1989 द्वारा जहुर मियां वल्द अली मियां साकिन–गरचांच से खरीद किये है। खरीद करने के दिन से हीं हम चारों भाई दखलकार चले आ रहे है, जिसकी जमाबन्दी रजिस्टर II के पेज नं0–75 / III में दर्ज होकर रसीद कटते आ रहा है। एवं दखल–कब्जा है।

आवेदक का यह भी कहना है कि बड़ा भाई अब्दुल हमीद दिनांक–12.01.2016 को मौजा–भीन्कोडीह के खाता नं0–14 प्लॉट नं0–17 कुल रकवा–20डी0 जमीन अपनी बीबी बीबीजन खुतन के नाम वजरिये केवाला नं0–145 / 2016 के द्वारा हस्तांतरण कर दिये जो गलत है, चूमि उक्त खाता प्लॉट में अब्दुल हमीद का मात्र 05डी0 हिस्सा होता है। डीड में घरैया बटवारा का जिक्र है लेकिन वैसा नही है। बदनियति के खयाल से हम तीनों भाई का हक वो हिस्सा अपनी पत्नी बीबीजन खातुन के नाम से वजरिये केवाला द्वारा हस्तांतरण किया गया है। आवेदकों का यह भी कहना है कि केवाला में पहचानकर्त्ता विपक्षी का अपना समधी है एवं दूसरे गांव का है। इन्होने अंचल अधिकारी,कोडरमा द्वारा नामान्तरण वाद सं0–659 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक–16.02.2016 को रदद् करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष का यह भी कहना कि मौजा–गरचांच खाता नं0–15 प्लॉट नं0–255 रकवा–10डी0 वो खाता नं0–09 प्लॉट नं0–27 रकवा–46डी0 एवं खाता नं0–14 प्लॉट नं0–17 रकवा–20डी0 मौजा–भीन्कोडीह थाना–जयनगर जिला–कोडरमा,निबंधित केवाला सं0–7494 दिनांक–08.09.1989 द्वारा जहुर मियां वल्द अली मियां साकिन–गरचांच से हासिल कर दखलकार हुए दाखिल–खारीज के पश्चात् रजिस्टर II Volume N0-03 के पृष्ठ सं0–75 पर विपक्षी एवं आवेदक का नाम दर्ज है। विपक्षी का कहना है कि क्रय की गई 0.76डी0 भूमि आपसी मौखिक बटवारा के द्वारा मौजा–भीन्कोडीह खाता नं0–14 प्लॉट नं0–17 रकवा–20डी0 प्राप्त हुआ जिसे अपनी पत्नी बीबीजन खातुन को निबंधित

केवाला सं0–145 दिनांक–12.01.2016 को हस्तांतरण कर दखलकार बनाए दिनांक–01.02.2016 को दाखिल–खारीज कराकर मालगूजारी प्राप्त किया जिस जानकारी आवेदकों को था, परन्तु इनके द्वारा कोई आपती नहीं किया गया। इन्हा आवेदकों का आवेदन खारीज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अब्दुल हमीद, मो0 शमसुदीन, मो0 शाहिद एवं निजामुउद्दीन वल्द अब्दुल मजीद ग्राम–गरचांच चारों भाई मिलकर दिनांक–08.09.1989 को मौजा–गरचांच के खाता नं0–15 प्लॉट नं0–255 रकवा–10डी0 वो मौजा–भीन्कोडीह के खाता नं0–09 प्लॉट नं0–27 रकवा–46डी0 वो खाता नं0–14 प्लॉट नं0–17 रकवा–20डी0 कुल रकवा–76डी0 भूमि केवाला द्वारा हासिल है एवं चारों भाई के नाम से रसीद निर्गत हो रहा है। विपक्षी अब्दुल हमीद जो आवेंदकों का अपना बड़ा भाई है। क्रय की गई भूमि में से मौजा–भीन्कोडीह के खाता नं0–14 प्लॉट नं0–17 रकवा–20डी0 भूमि केवाला सं0–145 दिनांक–12.01.2016 को अपनी पत्नी बीबीजन खातुन को हस्तांतरण कर दिया है, जिसमें अपने भाईयों को पहचानकर्त्ता न बनाकर अपने समधी सुकर मियां पिता–स्व मेघो मियां ग्राम–इरगोबाद,जयनगर को पहचानकर्त्ता बनाया गया है जो ग्राम–गरचांव का नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बदनियति की भावना से विपक्षी अब्दुल हमीद अपनी पत्नी बीबीजन खातुन के नाम से विवादित भूमि को हस्तांतरण किया गया है, जिसपर विपक्षी का दखल–कब्जा नहीं है।

अतःअंचल अधिकारी,जयनगर द्वारा नामान्तरण वाद सं0–659/15–16 में पारित आदेश दिनांक–16.02.2016 को रदद करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अंचल अधिकारी,जयनगर को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

04/7/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
कोडरमा।

04/7/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।